**Seventeenth Loksabha**

an>

# Title: Regarding non-payment of compensation to farmers of Jhansi district, Uttar Pradesh under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-Laid.

**श्री अनुराग शर्मा (झांसी):** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में से किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इसके लिये किसानों को खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत का सामान्य प्रीमियम भुगतान किया जाता है ।

2019-20 में झांसी जनपद में अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसल का शत प्रतिशत नुकसान हुआ था । वर्ष 2019-20 में जनपद झांसी में 49,507 किसानों को बैंक की गलती के कारण फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है । बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर 33246 किसानों का डेटा अपलोड नहीं किया गया और 16261 किसानों का डेटा गलत अपलोड करने के कारण कुल 49507 किसानो की एक सौ तीस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है । बैंकों की कथित घोर लापरवाही के कारण किसानों को खरीफ 2019-20 की फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है ।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने की कृपा करें ।